



सूचना  
का अधिकार

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



पावरग्रिड

के.आ./के.आ./सू.अ/2018/135

दिनांक : 21 जून, 2018

श्री सुधाकर भानुदास हिवाले,  
हिवाले चाल, एम एंड एम कमपाउंड,  
दामुनगर, कांडीवाली (ईस्ट),  
मुम्बई - 400 101

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 25.05.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि किसी हितधारक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हाने के उपरान्त निगम को हुए नुकसान की राशि को संबंधित हितधारक से वसूल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार एजेंसी/व्यक्ति के विरुद्ध संविदात्मक/अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाती है। अतः हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आर्थिक गैरव्यवहार से निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं होती है।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सैक्टर - 29, गुडगांव - 122001, हरियाणा

Email ID: [sanjeev@powergridindia.com](mailto:sanjeev@powergridindia.com)

Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद ।

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)